IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

निजता के अधिकार की सुरक्षा वर्तमान समय का महती आवश्यकता!!

डॉ. वर्षा सागोरकर

सह प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

संक्षेपिका –

निजता के अधिकार में आम नागरिक अपने आपको सरकार द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में निर्भय ताकझॉक या दखल करने से संरक्षित करता है। 2017 में 09 न्यायाधीशो की पीठ ने निजता को संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। यदि निजता का हनन होता है तो यह हमारी स्वतंत्रता का हनन है। निजता के कई पहलू है शारीरिक एवं वैचारिक निजता जो और भी अधिक आवश्यक है जिसे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। खुले मन से बिना हस्तक्षेप के सोचने एवं अभिव्यक्त करने पर प्रश्न उठाने से मानव की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी या मानव की प्रगति रूक सी जाती है। यह निजता लोकतंत्र को सुद्धढ़ करती है, एवं यह अधिकार आम नागरिक का रक्षात्मक अस्त्र है।

"निजी डेटा संरक्षक विधि विधेयक" को 2019 में लोक सभा के पटल पर रखा गया जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक उपयोग होने वाले निजी डेटा को सुरक्षित रखना था जिससे सभी नागरिकों को निजता का अधिकार पूर्ण रूपेण प्राप्त हो सके। यह कानून ना केवल सोशल मीडिया, कम्पनीयों पर नियंत्रण रखेगा वरन् किसी भी प्रकार का डेटा लीक या हैकिंग के संकट से भी व्यक्तिगत जीवन को परे रखेगा। चूंकि हमारे राष्ट्र में डेटा संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण न होने से डिजिटल एवं सोशल मीडिया में काम करने वाली कम्पनीयों को लाभ प्राप्त हो रहा था। ये कम्पनीयाँ भारतीयों के निजी डेटा को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही यहॉ तक की शासन के साथ संवाद में भी इनकी गंभीरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

"निजी डेटा संरक्षण कानून" विश्व में विशेषकर यूरोप के कई राष्ट्रों में लागू है जो कम्पनियों को वहाँ के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षित रखने का दबाव बनाता है। भारत में भी इस तरह की विधि का निर्माण हो जाने से कम्पनियों को डेटा को सुरक्षित रखने हेतु बाध्य होना पडेगा। जिससे दुरूपयोग एवं लीक या हैकिंग होने की संभावनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा। इस कानून के अनुसार कोई भी निजी अथवा सरकारी कम्पनी, एजेन्सी किसी के भी डेटा का उपयोग उसकी अनुमति के बगैर नहीं कर सकती। किन्तु इसमें एक अपवाद यह

है कि चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं केन्द्र सरकार की आवश्यक योजनाओं के लिए इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। कम्पनियों पर अंकुश रखने हेतु इस कानून में डेटा संरक्षण प्राधिकरण बनाने का भी सुझाव है।

इस विधि के तहत किसी के भी डाटा का दुरूपयोग करने या उपयोग करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी ओर को देने, चुराने पर कम्पनी के अधिकारियों को 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। साथ ही कम्पनी को 15 करोड़ अथवा वैश्विक टर्नओवर का 4ः जुर्माने के रूप में देना होगा। थोड़ा सा भी उल्लंघन होने पर 4 करोड़ जुर्माना या वार्षिक टर्नओवर का 2ः देना होगा।

सोशल मीडिया को इस हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति कर उपभोक्ता से सत्यापन कराने का विकल्प भी देना होगा। यह यूजर पर निर्भर करेगा कि वह सत्यापन करवाये अथवा नहीं साथ ही यूजर को अपना डेटा कही भी ले जाने मिटाने व संशोधन करने की स्वतंत्रता होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बिल डिजिटल निजता को सुरक्षित करने दिशा में शासन का बड़ा कदम है। इससे डेटा पर सरकार का अंकुश रहेगा और सरकार अथवा शासन संवेदनशील रवैये के साथ इसका उपयोग सुनिश्चित करेगी ताकि डेटा लीक हैकिंग अथवा इस तरह की दूसरी घटनाए ना घटित हो और हमारी निजता सुरक्षित रहे।

प्रमुख शब्द – ऑफेन्सिव, दुरूपयोग, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता ।

प्रस्तावना –

विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है जिस पर संविधान द्वारा विवेक सम्मत सीमाएँ भी लगाई गई है। किन्तु बारम्बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कहने, लिखने अथवा कला माध्यमों से भावों को अभिव्यक्त एवं विचार करने की स्वतन्त्रता किस सीमा तक होनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया को आधार से जोडने का सुझाव तमिलनाड सरकार द्वारा दिया गया जिससे असामाजिक संदेशो और अफवाहों को रोका जाएगा। साथ ही आधार के 12 अंको को सोशल साइट्स से जोड़ देने से आपत्तिजनक संदेश भेजने वालों की पहचान की जा सकेगी एवं सरकार के लिए कार्यवाही करना ही निश्चित ही सरल हो जाएगा। किन्तु ऐसा करने से नागरिकों की निजता असुरक्षित हो जाएगी। वर्तमान में अमरीकी फेडरल टेड़ कमीशन (एफटीसी) ने फेसबुक पर 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। सूचना एवं प्रसारण से जुड़ी तकनीकि क्रांति के इस दौर में निजता की रक्षा का प्रश्न एक मुद्दा बना हुआ है। जिसें सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए शीघ्र ही इस दिशा में कोई निर्णय लेना चाहिए।

जिस सहजता के साथ इजरायली स्पाइवेयर ''पेगासस'' का उपयोग का मुद्दा प्रकाश में आया है कि किस प्रकार मिस्ड कॉल एवं व्हाटसऐप के माध्यम से व्यक्ति की गोपनीयता पर प्रहार किया जा सकता है, जिससे निजता की सुरक्षा एवं इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत डेटा की अभेद्यता की संभावनाओं की चिंता बढ़ गई। व्यक्तिगत डेटा की अनाधिकृत पहॅुच यानि की हैकिंग, सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम (आई.टी.) के तहत दण्डनीय है। अपराधी को दण्ड अथवा दंडित करने की प्रक्रिया कठिन जटिल है क्योंकि भारतीय व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा भी भारत में संधारित नहीं किया जाता। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून के तहत इनमें से कुछ समास्याओं का निदान तो किया जा सकता है किन्तु इस तरह का कानून लागू होना प्रस्तावित है।

न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण समिति द्वारा प्रस्तुत ष्जीम च्मतेवदंस कंजं च्वतवजमबजपवद ठप्ल्ल . 2018ष का प्रारूप विगत वर्ष सार्वजानिक परामर्श हेतु जारी किया गया था। किन्तु काफी समय तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह विधेयक में व्यक्ति की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए काफी व्यापक स्तर पर कार्य करेगा। इसमें बड़े पैमाने पर अन्य राष्ट्रों के अनुभवों का सार और पहचान किये गये अथवा पहचान योग्य व्यक्तियों से संबधित डेटाबेस की रक्षा के लिए नागरिकों की

आवश्यकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। किन्तु भारत में इस तरह का सर्वर स्थापित करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। चूंकि ट्रांस नेशनल अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति एवं विधि प्रवर्तन निकाओं की चिन्ताओं को गंभीरता से जांचा जाना आवश्यक है। चूंकि अन्य देशों से साक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम पारस्परिक सहायता संधि का प्रवर्तन है और इसके प्रयोग की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल?

भारत लगभग 39 राष्ट्रों के साथ डेटाबेस की सुरक्षा हेतु इस प्रकार की द्विपक्षीय संधि का पक्षधर है। क्योंकि इस माध्यम से अपराधियों तक पहुचने में सहायता अवश्य मिलेगी। इसके अन्तर्गत विधेयक में भिन्न भिन्न अपराधो की स्पष्ट व्याख्या भी किया जाना आवश्यक होगा। जैसे आई टी एक्ट 2000 के समान दीवानी एवं फौजदारी मामलों को अलग रखा जावे। क्योंकि आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत जब तक हैंकिंग किसी को घात, कष्ट पहुचाने के इरादे से नहीं की जाती तव वह आपराधिक प्रकरण ना होकर दीवानी मामला बन जाता है।

"मॉरिस जोन्स" लिखते हैं कि "भारतीय संविधान में अधिकारों की रक्षा की सुदृढ़ गॉरटी दी गई है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून अथवा विधि जो इन अधिकारों

का अतिक्रमण करती हो, उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है तथा नागरिक भी संवैधानिक उपचारों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा के लिये रिट् दायर कर सकते है।"

एक स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र में मौलिक अधिकार, सामाजिक, धार्मिक एवं नागरिक जीवन में प्रभावदायक विकास का साधन होते है। किसी भी प्रकार के अधिकारों के अभाव में प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के अनुसार विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना होता है। इन अधिकारों में वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना गया है क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन है। इन अधिकारों में भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला माना गया है एवं प्रत्येक प्रजातांत्रिक शासन इस स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शाक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार को मानव के नैसर्गिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। यह एक ऐसा बुनियादी मानवाधिकार हैं जो अन्य सभी अधिकारों से महत्वपूर्ण है। न्यायालय की यह स्पष्ट घोषणा है कि संविधान प्रदत्त यह स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र अथवा संस्था की जीवन रेखा है एवं इस अधिकार का किसी रूप में दमन लोकतंत्र के विरूद्ध माना जाएगा। सन् 2008 में जर्मनी में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान वहाँ के पत्रकार ने टिप्पणी में पूछ कि क्या आप भारत से हैं? बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि आप इतनी बातें कह पाते हैं, सरकार के गलत कार्यों का विरोध कर सकते हैं। उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते एवं संसद की अक्षमता पर गंभीर टिप्पणीयाँ भी कर देते हैं किन्तु इतनी स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं? विचार एवं अभिव्यक्ति की बंदिशें हम जानते हैं एवं अनुभव भी करते हैं, इसलिए जानने एवं अभिव्यक्त करने के अधिकार से वंचित होने की पीड़ा को सहन करते हुए हम जी रहे हैं।" वाकई हम भारतीय बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमें जानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है एवं निजता का अधिकार हमारे व्यक्तिगत जानकारी संरक्षित रखने को अधिकार प्रदान करता है।

विचारों का आदान –प्रदान मानव सभ्यता के प्रारम्भ से जुड़ा हुआ है। विचारों के आदान–प्रदान से मानव का वैयक्तिक विकास एवं समाज की सामाजिकता का विकास होता है। नवजात शिशु का क्रदन बाह्य जगत के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की इच्छा व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिन्तन से प्रेरित होती है। अपने मत या भावना को प्रगट करने हेतु कभी–कभी वह मानव अपने मनोभाव को प्रकाशित कर अपनी भावनाओं को रूप प्रदान करता है। स्वयं से वार्तालाप करने लगता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य साधारणतः बोलने या वाक् की स्वतंत्रता से लगाया जाता है किन्तु बोलने मात्र की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं माना जा सकता क्योंकि वाक् के मात्र की अतिरिक्त इसमें कई अन्य तथ्यों का समावेश भी होता है। भाषण या वक्तव्य देने से लेकर लिखने पत्र–पत्रिकांए, प्रकाशित करने, नाटक एवं नुक्कड़ नाटक लिखने करने डाक्यूमेन्टरी एवं फीचर फिल्म बनाने, दिखाने, रेडियों, टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने, सार्वजनिक मंच अथवा सोशल मीडिया पर सहमत, असहमत होते हुए मतभेद एवं विरोध प्रगट करते हुए अपने विचार व्यक्त करना, सड़को पर जुलुस निकालने, नारे लगाने, धरना प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल करने, साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलन चलाकर, सामाजिक व राजनीतिक संगठन बनाकर मानव को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करना ही अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति से मानव अपने मनोभावों को प्रकाशित कर अपनी भावनाओं को रूप प्रदान करता है।

विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है– शब्दों, लेखों, मुद्रणों (च्तपदजपदह) चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार इसमें संकेतों, अंकों, चिन्हों अथवा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। ''अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम है वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। रोमेश थापर बनाम मद्राम राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ''विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है और वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रत उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्रकाशन की स्वतंत्रता।'' श्री निवासन बनाम मद्रास राज्य, (प्ल्957 मद्रास 79) ''वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मात्र अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता नहीं है। इसमें दूसरो के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है।''इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चार उद्देश्यों की पूर्ति करती है–1. यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होती है। 2. सत्य की खोज में सहायक होती है। 3. व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को दृढ़ करती है, 4. वह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सांमजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।

भारतीय प्रेस कमीशन के विचारानुसार ''जनतंत्र मात्र विधानमण्डल की सचेत देखभाल में ही नहीं बल्कि लोकमत के मार्गदर्शन एवं देखभाल के अन्तर्गत फलता–फूलता है, और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त होता है।'' किसी सूचना अथवा विचार को बोलकर, लिखकर या अन्य किसी रूप में बिना किसी बाधा अथवा रोक–टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को थ्तममकवउ व्म्गचतमेपवद कहा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का आदान–प्रदान कर सकता है बल्कि किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी (ज्ञान) का भी आदान–प्रदान कर सकता है। हालॉकि यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं इस पर समय–समय पर युक्ति युक्त निर्बधन लगाये जा सकते हैं। राष्ट्र राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह संविधान एवं विधि के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन लगा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बाह्य अथवा आंतरिक

आपातकाल अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया हैं कि ''किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके अन्तर्गत वह किसी भी प्रकार की सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु स्वतंत्र होगा।''

विश्व के 32 विकासशील राष्ट्रों में किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में इंटरनेट तक मात्र 20ः लोगों की पहुँच है। मात्र 14ः भारतीय स्मार्टफोन रखते हैं। पीव रिसर्च सेन्टर के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार ''भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में से 65ः व्यक्ति ही फेसबुक एवं ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग बेवसाइट को देखते हैं। जबकि 55ः लोग नौकरियॉ खोजने के लिए इन्टरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं की मात्र भारत में ही नेटवर्किंग साइट पर लिखने पर पांबदी लगायी गयी बल्कि विश्व के अनेक ऐसे राष्ट्र है जहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगाया गया है।'' ट्यूनीशिया एवं मिस्त्र में सत्ता के परिवर्तन में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एवं अन्य सोशल साइटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2008 में 30,000 ट्यूनीशियाई फेसबुक पर थे। ऑनलाइन माध्यमों पर ट्यूनीशिया ने कठोर सेंसरशिप लगा रखी थी। उसके बावजूद ट्यूनीशियाई नागरिकों के फेसबुक में जुड़कर किये गयें विरोध के कारण वहाँ शासक को 2011 में (वेन अली) को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2008 में मिस्त्र के महाला नगर में श्रमिकों के द्वारा की गई हड़ताल की बात इसलिए इन्टरनेट के माध्यम से फैलाने के कारण फेसबुक के उपभोक्ता बढ़ने लगे। ट्यूनीशिया के समान मिस्त्र में आन्दोलन ने उग्र रूप तब धारण कर लिया जब एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को पुलिस द्वारा बहुत क्रुरता के साथ मार डाला गया और फेसबुक पर अपलोड़ किये गये वीड़ियों ने पूरी पोल खोल दी तब विद्रोह तीव्र हो गया जिसके कारण वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हुस्नी मुबारक को त्याग पत्र देना पड़ा। मिस्त्र एवं ट्यूनीशिया के आन्दोलन से प्रभावित जैस्मीन आन्दोलन को चीन में मिले रहे प्रतिसाध एवं समर्थन के कारण चीन सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगा दिया। मैक्सिकों, ग्वाटेमाला, ब्राजील, इटली, इथियोपिया, सूडान, सऊदी, अरब, तुर्की, ईरान, चीन, वियतनाम, थाईलैण्ड जैसे कई राष्ट्रों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रखी है।

विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को हिंसा अथवा शक्ति से दमन करने का प्रयास असाह्यता का परिचायक है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संकुचित नहीं बल्कि बहुआयामी है। यह धारा के अन्तर्गत ऐसा लेखन जो असहज, चिढ़ाने, आपत्तिजनक या अपमान करने वाला हो उसका लेखक दण्ड का भागी होगा। न्यायालय द्वारा निर्णय के अन्तर्गत यह संज्ञान लिया गया कि चिढ़ने या आपात्तिजनक अथवा अपमानजनक लेखन की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं इसलिए यह धारा पुलिस को मनमानी करने का अधिकार देती है इसलिए इसका समाप्त होना ही आवश्यक था। भारत के लगभग 30 करोड़ लोग नेटवर्किंग साइट एवं सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति गलत सोच रखते हैं, लिखते हैं, अफवाहें फैलाते हैं अथवा भ्रामक सूचानाएँ देते हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए भारत में विधियों की कमी नहीं। भारतीय दण्ड संहिता में भी अनेक ऐसी विधियाँ जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की कारगुजारियों पर कार्यवाही की जा सकती है।

निष्कर्ष –

सूचना क्रांति एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तीव्र विकास के पश्चात् हर स्थान पर यह शब्द देखा जा सकता है ''कि आप कैमरे की निगरानी में हो'' आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अन्दर तक समा चुके मोबाइल फोन जिस पर वार्तालाप संदेश चित्रों एवं दस्तावेजो का आदान–प्रदान किया जा रहा है जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत जीवन के पलो को सांझा करते हैं वह किसी अन्य के नियन्त्रण में है, जिसके कारण हमारी निजता पर संकट उत्पन्न हो गया एवं हमारा व्यक्तिगत जीवन सार्वजानिक होने लगा लेकिन ऐसा क्यों? यह कौन–सी विधि है जो हमारे निजता के अधिकार (राइट टू प्रायवेसी) का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रही और इसके कारण व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक का अन्तर ही एक तरह से समाप्त सा हो गया है।

इतिहास में कभी भी इस तरह के उदाहरण दृष्ट्रिगोचर नहीं होते जब भी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान आदि होते हैं तो आश्वस्त किया जाता है कि आपके द्वारा प्राप्त आंकडे, सूचनाओं, तथ्यों एवं जानकारियों को गोपनीय(गुप्त) रखा जावेगा किन्तु नवीन प्रौद्योगिकी ने हमारा इस विश्वास का आघात पहुचाया है। जिससे व्यक्ति निडरतापूर्वक जानकारी या तथ्य देने से घबरायेगा उस पर एक नवीन तरह का संकट एवं मनोवैज्ञानिक भय सदैव ही बना रहेगा। इस तथ्य से भी ना नहीं किया जा सकता है आने वाले समय में व्यक्ति के विचार के अधिकार की भी निजता पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसने हमारे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व निजता के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह् खडा कर दिया है।

प्रौद्योगिकी को सदैव ही हम अपने नियत्रंण में रखना चाहते हैं किन्तु वर्तमान में प्रौद्योगिकी पर हमारा नियंत्रण नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी का नियंत्रण व्यक्ति पर दृष्टिगोचर हो रहा है। जब तक तकनीक व प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव हित के लिए किया जाता है तब तक यह अविष्कार मानव जाति के लिए वरदान है किंतु इसका प्रयोग मानव के विरूद्ध किया जाता तो अभिशाप का रूप धारण कर लेता है।

मानवाधिकार समूहों एवं विशेषज्ञों यह मानते हैं कि कई राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष साइबर अपराधों की सहायता से अपने विरोधियों की जासूसी करवाते हैं एवं इसके माध्यम से अपने शासन के विरूद्ध पनपने वाले असंतोष का दमन करने का प्रयत्न करते हैं। इसके कारण वर्तमान में हमारी निजता प्रभावित हो रही है, निजता सार्वजनिक हो रही है हमारा निज दूसरों के नियंत्रण में जा रहा है। विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों? एवं किस कारण? इस पर शीघ्र नियंत्रण करना आवश्यक है व न्यायपालिका को इस पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी। सरकार को विधेयक को कानून में तब्दील करना होगा तभी हमारी निजता कुछ हद तक सुरक्षित होगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. शकील अख्तर – भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता(आजादी) कितनी बी.वी.सी.हिन्दी, 11 जनवरी 2015।

2. बैजनाथ मिश्र – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार का अन्तरसंबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रकाश संचायिका से ई पत्रिका, 30 मई 2015।

3. रमेश उपाध्याय – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ, नवनीत मई 2015 पृ.क्र. 16।

4. जयशंकर पाण्डे – लावेल बनाम ग्रिफिन(1938) 303 यू.एस. 444, साभार भारत का संविधान, पृ. क्र. 189।

5. कूर्परचन्द्र कुलिश – निजता की सुरक्षा जरूर्य पत्रिका पत्रिकायन पृ. क्र. 10।

6. आर. के. विज – व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून समय की अहम जरूरत, पत्रिकायन, 2 दिसम्बर 2019 पृ. क्र. 06।

7. पवन दुग्गल – निजता के अधिकार का खुले आम उल्लंघन, दैनिक जागरण 1 दिसम्बर 2019 पृ. क्र. 06।

8. रीतिकाखेतान – सूचना एवं निजता दो अधिकारोंकी गाथा, दैनिक भास्कर अभिव्यक्ति, 30 नवम्बर 2019, पृ. क्र. 08।